

21



1008750

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म० प्र०, ग्वालियर, म० प्र०

प्रकरण क्रमांक:

196 निगरानी माल

संख्या 34-VI/96

शोतिवाई पत्नी रघुवीरसिंह रघुवंशी,
निवासी ग्राम अनन्तपुर, परगना कोलारस,
जिला शिवपुरी, म० प्र०

—प्राथिनी/रिस्पोण्डेंट

बनाम

- 1- राजेंद्रसिंह पुत्र कमलसिंह रघुवंशी,
व्यवसाय काष्ठकारो,
- 2- हरवीरसिंह पुत्र कमलसिंह रघुवंशी,
निवासी गण-डुगौरा कालाबाग
तहसील ईसंगढ़, जिला गुना, म० प्र०

—प्रतिपक्ष/अपीलाण्ट्स

अधोनस्थ न्यायालय अमर आयुक्ता ग्वालियर संभाग ग्वालियर
श्री पुंजरजि माहू साहिब द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/95-96 अपील
में पारित आदेश दिनांक 16-5-1996 के विरुद्ध एवं निगरानी
एवं म० प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत.

माननीय महोदय,


प्राथिनी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

- 1- यह कि, अधोनस्थ न्यायालय अमर आयुक्त महोदय का आदेश
सामान्य विधि एवं राजस्व विधि के प्रावधानों के विपरीत
होने के कारण प्रथम दृष्टि में ही निरसन योग्य है।
- 2- यह कि, विचार अधोन भूमि के पूर्व भूमिस्वामी रतनसिंह ने
दिनांक 14-7-86 को ही विचार अधोन भूमि का विक्रय
प्राथिनी के हित में, सक्षम राजस्व पदाधिकारी महोदय की

55 - VI
कपीक
श्री देशबन्धु शर्मा 5.8.96
अभियन्ता द्वारा जारी दिनांक
को प्रस्तुत
5.8.96
व नई ऑफ कोर्ट
राजस्व मन्त्रालय म. प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 34-चार/96 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
02.8.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता को एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

✓